

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

12

अधिशाली, अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड द्वारा प्रस्तावित मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 31.05.2009 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्तावक विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया:-

1. श्री सुरेश कुमार, वन क्षेत्राधिकारी, वन्य जीव विहार, देहरादून।
2. श्री रूली राम राठौर, वन क्षेत्राधिकारी, जौनपुर रेंज, मंसूरी वन प्रभाग, मंसूरी।
3. श्री दिनेश बिजलवाण, सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, थत्यूड।
4. श्री अखिलेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, थत्यूड।
5. पटवारी, तुनेटा क्षेत्र रा०वि०, धनोल्ती तहसील।
6. श्री बचन दास, वन दरोगा, मगरा सैक्शन, जौनपुर रेंज।
7. श्री मोहन लाल सुयाल, वन बीट अधिकारी, जौनपुर रेंज।
8. श्री भूदेव प्रसाद सकलानी, वन आरक्षी, कोटी किमोई बीट मसराना,।

लो०नि०वि०, थत्यूड द्वारा मसराना से किमोई मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 किमी० चौड़ाई 7.00 मी० प्रस्तावित की गई है जो मंसूरी वन प्रभाग जौनपुर रेंज तथा वन्य जीव विहार देहरादून के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि सिविल भूमि एवं नाप भूमि पड़ेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रस्तावित भूमि का प्रकार, वन ब्लॉक व कक्ष संख्या	प्रस्तावित कार्य	आरक्षित वन भूमि की लम्बाई, चौड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है० में
1	आरक्षित वन भूमि मगरा 6 काण्डा कक्ष नं० 4 व 5	मोटर मार्ग	5.400	7 मी०	3.78
2	वन्य जीव विहार आरक्षित वन भूमि क० नं०	मोटर मार्ग	0.600	7 मी०	0.420
3	सिविल सोयम	मोटर मार्ग	1.575	7 मी०	1.1025
4	नाप भूमि	मोटर मार्ग	0.425	9 मी०	0.382
योग :-			8.00	7 मी०	5.6845

अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन एवं सिविल मार्ग का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल है० में
1	आरक्षित वन भूमि	3.780
2	वन्य जीव विहार	0.420
3	सिविल वन भूमि	1.1025
योग :-		5.3025

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल अपेक्षित 5.3025 है० वन भूमि व नाम भूमि का निरीक्षण किया गया एवं भूमि की स्थिति समस्त बाधक 913 वृक्षों की गणना कर पेन्ट से क्रमांक अंकित किये गये हैं। जिनकी सूची तैयार कर पृथक संलग्न की जा रही है। प्रस्तावित समरेखण में वृक्ष सघन रूप से विद्यमान हैं एवं स्थल का घनत्व 0.3 से 0.5 है। स्थल पर कुल 913 वृक्षों का सारांश निम्न प्रकार है :-

41
लक्ष्मी

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,
थत्यूड (विन्ही वृक्षवाक)

सारांश

(13)

मसराना किमोई मोटर मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों की मार्किंग सूची- मगरा क0स0 6 आरक्षित वन

क्र0 सं0	वन भूमि का विवरण	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
1	आरक्षित वन भूमि मगरा क0नं0 6		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	90 से उपर	
		बांन	08	25	10	32	—	—	—	—	—	45
		बुराश	04	11	06	35	—	—	—	—	—	26
		मोरु	01	06	01	—	—	—	—	—	—	08
		खगसी	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02
		अयार	01	03	03	01	—	—	—	—	—	08
		थरमोल	01	03	—	—	—	—	—	—	—	04
		पैया	—	—	01	—	—	—	—	—	—	01
		मसूरा	—	01	03	—	—	—	—	—	—	04
		योग	15	51	24	08	—	—	—	—	—	98

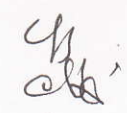
सारांश

मसराना-किमोई मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 6 तक बाधक हरे वृक्षों की मार्किंग सूची जाख ब्लॉक काण्डा कक्ष सं0 5 आरक्षित वन ।

प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90	योग
मेहल	—	05	—	—	—	—	—	—	—	—	05
बांन	108	276	95	29	03	—	—	—	—	—	403
कुकाट	—	61	09	03	—	—	—	—	—	—	73
मसूरा	—	21	01	—	—	—	—	—	—	—	22
बुराश	—	21	23	13	03	—	—	01	—	—	61
चीड	—	01	01	05	02	—	—	—	—	—	09
काफल	—	01	—	02	—	—	—	—	—	—	03
मोरु	—	02	—	—	—	—	—	—	—	—	02
योग	161	271 388	150 129	59 52	09 08	—	—	02 01	—	—	578

मसराना-किमोई मोटर मार्ग कि0मी0 7 से 8 तक बाधित हरे वृक्षों की सूची आरक्षित वन काण्डा कक्ष सं0- 04

क्र0 सं0	प्रजाती	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	योग
1	बांन	36	20	06	—	—	—	62
2	कुकाट	05	01	—	02	—	—	08
3	चीड	02	—	01	—	—	01	04
	योग-	43	21	07	02	—	01	74


 अधिशासी अभियन्ता
 अरुणाचल प्रदेश, लो. वि. वि.
 धनबाद (बिहारी गढ़वाल)

750 45

S. D. M.
Dhanolti

(144)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Temporary Division P.W.D, Thature, for "Masrana to kimoi Motor Marg (8.00K.M) in " under FCA-1980 for diversion of 5.3025 ha. forest land for non-forestry purpose. The Project envisages the use of , " Masrana to kimoi Motor Marg (8.00K.M)". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 03-02 - 2011 .

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest +Civil Forest (RF 4.20 ha.+CF 1.1025 ha.) = 5.3025 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) As such, recommendation is being provided.

(Signature)

Place - Mussoorie

Date - 23-3-2011

Name - (Ram Gopal)

Designation.....प्रभागीय वन विकास...

Office Seal मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.